

जनपद वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जनउपयोगी विभागीय योजनाओं का विवरण

1. योजना का नाम— गंभीर बीमारी सहायता योजना।
2. सम्बन्धित विभाग का नाम— श्रम विभाग, उ0प्र0
3. कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम— श्रीमती वन्दना
4. कार्यालय का पता— कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर
5. कार्यालय का दूरभाष— 0131-2620910
6. योजना के आरम्भ होने की तिथि— 4 फरवरी 2009
7. योजना की समाप्ति की तिथि—
8. योजना का प्रकार—केन्द्रीय/राज्य/जिला/अन्य— राज्य
9. योजना का संक्षिप्त विवरण—1— पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा उसकी पत्नी अथवा उस पर आश्रित अविवाहित पुत्री 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र को गंभीर बीमारी की दशा में उ0प्र0 सरकार के स्वायत्तशासी चिकित्सालय में कराये गये इलाज के उपरान्त किये गये व्यय की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति।
10. योजना के लिये निर्धारित अर्हता— 1—श्रमिक बोर्ड का पंजीकृत लाभार्थी हो। परिचय पत्र की छायाप्रति।
2— बैंक पासबुक एवं परिचय पत्र की छायाप्रति। 3—किसी गंभीर बीमारी के इलाज के फलस्वरूप उपचार करने वाले चिकित्सक/अस्पताल द्वारा प्रारूप-2 पर दिया गया हो। 4—दवाईयों के क्य पर हुये व्यय के मूल बिल/बाउचर जोकि उस चिकित्सक/अस्पताल द्वारा प्रमाणित किये गये हों, जिनके द्वारा उपचार किया गया हो। 5— उपरोक्त प्रारूप-2 को रू0 पचास हजार तक की सीमा तक प्रतिपूर्ति के आवेदन का प्रतिहस्ताक्षरण जिले के मुख्य चिकित्साधीक्षक द्वारा कराया गया मान्य होगा तथा इससे अधिक की धनराशि के लिये प्रतिहस्ताक्षरण चिकित्सा परिषद द्वारा किया गया मान्य होगा।
11. योजना किस वर्ग विशेष के लिये है—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक/विकलांग/
सामान्य जाति/सीमामान्त किसान/बी0पी0एल0/ए0पी0एल0
12. योजना का आवेदन करने की प्रक्रिया— क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
13. आवेदन पत्र/फार्म प्राप्त करने का स्थान— कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर
14. आवेदन पत्र/फार्म का शुल्क— निःशुल्क
15. आवेदन पत्र/फार्म के साथ आवश्यक संलग्नको का विवरण— क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
16. यदि आवेदन ऑनलाईन है तो वेबसाईट का एड्रेस— प्रभावी नहीं हैं।
17. योजना के सम्बन्ध में दूरभाष पर जानकारी देने वाले कार्यालय के सम्पर्क सूत्र का पदनाम— सहायक लेखाकार, मोबाईल नम्बर—0131-2620910
18. योजना के सम्बन्ध में जानकारी/शिकायत करने के सम्बन्ध में विभाग का दूरभाष/टोल फ्री नम्बर/ई-मेल— 0131-2620910
19. विभाग की वेबसाईट का एड्रेस— www.uplabour.nic.in

(वन्दना)
सहायक श्रमायुक्त
मुजफ्फरनगर।

जनपद वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जनउपयोगी विभागीय योजनाओं का विवरण

1. योजना का नाम— कौशल विकास तकनीकी उन्नयन
2. सम्बन्धित विभाग का नाम— श्रम विभाग, उ0प्र0
3. कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम— श्रीमती वन्दना
4. कार्यालय का पता— कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजपफरनगर
5. कार्यालय का दूरभाष— 0131-2620910
6. योजना के आरम्भ होने की तिथि— 2014
7. योजना की समाप्ति की तिथि— —
8. योजना का प्रकार—केन्द्रीय/राज्य/जिला/अन्य— राज्य
9. योजना का संक्षिप्त विवरण— पंजीकृत निर्माण श्रमिक को एवं उनके पुत्र/पुत्रियों को कौशल संबन्धी दक्षता विकास एवं तकनीकी उन्नयन के उद्देश्य से प्रशिक्षण उपलब्ध कराना एवं प्रशिक्षण में हुए व्यय मजदूरी के नुकसान की प्रतिपूर्ति करना।
10. योजना के लिये निर्धारित अर्हता—1—इस योजना के अन्तर्गत लाभ किसी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पॉलीटेक्निक से किसी मान्यता प्राप्त पाठ्य क्रम, व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित एवं संचालित व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र जो तकनीकी उन्नयन/प्रमाणीकरण से संबंधित हो में प्रशिक्षण प्राप्त करने की दशा में ही सुलभ हो सकेगा परन्तु यदि किसी लाभार्थी का पुत्र प्रशिक्षण में प्रवेश के समय 21 वर्ष से कम आयु का है और प्रशिक्षण उपरान्त उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक हो जाती है तो इस योजना का लाभ उसे भी अनुमन्य होगा। शैक्षिक संस्थाओं का शुल्क वही देय होगा जो शासन द्वारा अथवा शासन द्वारा निर्धारित शुल्क समितियों में तय हुआ है तथा शासन की अन्य फीस प्रतिपूर्ति की योजनाओं से वहन भी न हों।
2—प्रशिक्षण शुल्क, प्रशिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तकों पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु श्रमिक को उस संस्थान से प्रदत्त प्रमाण पत्र एवं प्रमाणित व्यय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3— पंजीकरण निर्माण श्रमिकों द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के 03 माह के अन्दर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4—पंजीयन प्रमाण पत्र एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति।
5—आवेदन पत्र के साथ प्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
11. योजना किस वर्ग विशेष के लिये है—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/विकलांग/
सामान्य जाति/सीमान्त किसान/बी0पी0एल0/ए0पी0एल0
12. योजना का आवेदन करने की प्रक्रिया— क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
13. आवेदन पत्र/फार्म प्राप्त करने का स्थान— कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड, मुजपफरनगर
14. आवेदन पत्र/फार्म का शुल्क— निःशुल्क
15. आवेदन पत्र/फार्म के साथ आवश्यक संलग्नको का विवरण— क्रमांक 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र।
16. यदि आवेदन ऑनलाईन है तो वेबसाईट का एड्रेस— प्रभावी नहीं हैं।
17. योजना के सम्बन्ध में दूरभाष पर जानकारी देने वाले कार्यालय के सम्पर्क सूत्र का पदनाम— सहायक लेखाकार, मोबाईल नम्बर—0131-2620910
18. योजना के सम्बन्ध में जानकारी/शिकायत करने के सम्बन्ध में विभाग का दूरभाष/टोल फ्री नम्बर/ई-मेल— 0131-2620910
19. विभाग की वेबसाईट का एड्रेस— www.uplabour.nic.in

(वन्दना)

सहायक श्रमायुक्त
मुजपफरनगर।